

I/26813/2024

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhapura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-
2695202

संख्या: 2512/ MCDR-MiFLOLST/4/2022-AJM-IBM_RO_AJM दिनांक: /01/2024

प्रेषित: खान एजेंट

नागौर चुना पत्थर खान ब्लॉक 3B(1b),

मेसर्स नु विस्टा लिमिटेड,

नागौर -700107

(e-mail: nitin.purohit@nuvoco.com, jai.singh@nuvoco.com)

विषय: राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित आपकी नागौर चुना पत्थर खान ब्लॉक 3B(1b) खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 06/02/2024 by undersign in presence of Sri Nitin Purohit, Mine Manager and Sri Deependra Singh , Geologist of your mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operations have not been carried out in accordance to Modified Mining Plan approved on 24/07/20219 to the extent given below for the year 2022-23: (1) The working/development was carried out between grid N3017720 to 3017835 and E391915 to 392050 against the proposal between grid N3016905 to 3017162 and E391282 to 391698. (2) An area of 0.50 hectare with 50 numbers of saplings was planted against the target of 1.00 hectare with 1000 number saplings. (3) Retaining wall of 630 meters proposed during the year 2022-23 has not been constructed.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक

भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, नागौर।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर